रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक/सभा/2010/793 जबलपुर, दिनांक 6/12/10

अधिसूचना

उन सभी बी.एड./एम.एड. महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय उपरांत एनसीटीई से मान्यता प्राप्त कर लिए है किन्तु अभी तक संबंद्धता हेतु आवेदन नहीं किया है वे अपने महाविद्यालय की संबंद्धता हेतु 15 दिवस में संपूर्ण दस्तावेजों के साथ विश्वविद्यालय में संबंद्धता हेतु आवेदन करें । साथ ही कालेज कोड 28 की प्रक्रिया सम्पन्न कराकर उसका भी उल्लेख करते हुए दस्तावेज संलग्न करें ।

जिनके आवेदन समयावधि में प्राप्त नहीं होंगे उन महाविद्यालयों को असंबद्ध मनाते हुए उनके महाविद्यालयों के छात्रों को परीक्षा में प्रविष्ठ नहीं होने दिया जायेगा । छात्रों के परीक्षा में प्रविष्ठ न होने पर इसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित महाविद्यालय के संचालक/प्राचार्य की होगी ।

एम.बी.ए., पैरामेडिकल, एलएल.बी., नर्सिंग व्यवसायिक पाठ्यक्रमों एवं बी.कॉम, बी.ए., बी.एससी. आदि के प्राचार्य/संचालक भी कालेज कोड 28 की प्रक्रिया पूर्ण कराये उक्त प्रक्रिया पूर्ण न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

सही/–
कुलसचिव,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

पृ0 क्रमांक/सभा/2010/793 ''अ'' जबलपुर, दिनांक 6/12/10

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. परीक्षा नियंत्रक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
2. उपकुलसचिव गोपनीय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
3. सहायक कुलसचिव, परीक्षा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
5. माननीय सम्पादक, ... ।

सही/–
सहायक कुलसचिव, (सभा)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर